

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 523/2022

अनवान : -

1. लालचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 14 बारानी हाल वार्ड न0 01
ढाणी सिखान तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. लिछमण पुत्र स्व0 चुन्नीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेहरूनगर नोहर तहसील
नोहर।
2. मोतीलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 14 बारानी तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड स0 1 ढाणी सिखान
तहसील नोहर।
4. किशन पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड स0 1 ढाणी सिखान
तहसील नोहर।
5. इन्दिरा देवी पत्नी स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
6. सुनील पुत्र स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
7. राहुल पुत्र स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा कॉलोनी
नोहर तहसील नोहर।
8. कंचन पुत्री स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
9. नीलम पुत्री स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/06/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1956 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मंडलक 14 बारानी
तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण
मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादी के दादा खेताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खेताराम की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि उनके पुत्रगण भंवरलाल, मोतीराम, लालचन्द, राजकुमार, किशन पर औद हुई तथा भंवरलाल फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण स० 5 ता 9 मृतक भंवरलाल के नाम दर्ज वाद भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 49339/493350 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 अकेला 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 अकेला 19733/197340 हिस्सा, प्रतिवादी स० 3 अकेला 19733/197340 हिस्सा एवं प्रतिवादी स० 4 अकेला 49339/493350 हिस्सा एवं मृतक भंवरलाल के नाम दर्ज 8222/82225 हिस्सा भूमि के प्रतिवादीगण स० 5 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि मुश्तरका तौर से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का सीव व लगान संबंधि व रास्ता बाबत हमेशा तनाजात बना रहता है इसलिए वादी वाद भूमि का खाता व लगान अलहदा करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त आशयों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता है कि तथा वादी एवं प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 व प्रतिवादी स० 5 ता 9 के पिता का पूर्वजों के समय का बाहमी बंटवारा कर रखा हे मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बंटवारा ही वादग्रस्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा चाहते है जो निम्न प्रकार से है—

1. रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/436 के मु०न० 74 के किला न० 21/2 की उत्तरी हिस्सा की पूर्व से पश्चिम की ओर 0.1028 हैक्ट भूमि में प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 24/2 व 25/2 प्रत्येक की 0.1029 हैक्ट भूमि जो की इस किला का उत्तरी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला यानि 24/2 व 25/2 में 0.1029 हैक्ट भूमि व प०न० 326/436 मु०न० 74 के किला न० 20/1 की 0.2252 हैक्ट भूमि किला का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प०न० 325/436 के मु०न० 75 के किला न० 16/1 व 17/1 इन किलो 16 व 17 का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 0.2250 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

2. रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 325/437 मु०न० 88 के किला न० 1 ता 3 व 8 ता 14 की 2.5300 हैक्ट भूमि व प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 8/1 की 0.1140 हैक्ट भूमि जो की इसी किला न० 8 का पश्चिम हिस्सा की उत्तरी दक्षिणी 0.1140 हैक्ट भूमि व किला न० 11 ता 13 व 18 ता 23 की कुल 2.391 हैक्ट भूमि दोनों मुरब्बों की कुल कुल 4.921 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के पास रहेगी।

3. रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/437 मु०न० 89 के किला न० 10 की 0.2530 हैक्ट भूमि किला न० 1/1 की दक्षिण सीव पर पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी स० 2 की 0.0734 हैक्ट भूमि इसी प्रकार से मु०न० 88 के किला न० 6 व 7 की 0.506 हैक्ट भूमि व इसी मुरब्बा के किला न० 4/1 व 5/1 के

अपेक्षित अधिकारी
नोहर

बिल्कुल दक्षिण सीवें पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक की ओर प्रत्येक किला में 0.0759 हैक्ट भूमि पूर्व से पश्चिम तक प्रतिवादी स० 2 के पास रहेगी।

4. रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/437 मु०न० 74 के किला न० 11 की सम्पूर्ण 0.2530 हैक्ट व किला न० 20/2 जो की इस किला न० 20 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.0278 हैक्ट एवं मु०न० 75 के किला न० 14, 15 की सम्पूर्ण 0.506 हैक्ट भूमि किला न० 16/2 व 17/2 की जो कि किला न० 16, 17 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की है प्रत्येक किला में 0.0278 हैक्ट भूमि व मु०न० 74 के किला न० 10/1 जो कि किला न० 10 का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है कि 0.04728 हैक्ट, प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 6/1 व 7/1 जो कि किला न० 6, 7 का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर कुल तादादी 0.04726 हैक्ट प्रत्येक किला में है उक्त भूमि प्रतिवादी स० 3 के पास रहेगी।

5. रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/437 मु०न० 74 के किला न० 1 की सम्पूर्ण 0.228 हैक्ट भूमि किला न० 10/2 जो कि किला न० 10 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.20572 हैक्ट भूमि इस प्रकार प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 6/2 व 7/2 प्रत्येक किला स० 6 व 7 का बंटा न० बनाया गया है प्रत्ये किला का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर से 0.20574 हैक्ट प्रत्येक किला में व इसी मु०न० 75 के किला न० 8 के पूर्वी हिस्सा की उत्तर दक्षिण की ओर 0.139 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 4 के पास रहेगी।

6 रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8420 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/437 मु०न० 88 के किला न० 1/2 की उत्तरी हिस्सा की 0.1796 हैक्ट भूमि पूर्व से पश्चिम व प०न० 325/437 मु०न० 88 के किला न० 4/2 व 5/2 की जो कि इन किला की उत्तरी दिशा की 0.1771 हैक्ट भूमि प्रत्येक किला में यानि 4/2 हिस्सा, 5/2 की पूर्व से पश्चिम व इसी मु०न० 88 के किला न० 4/2 व 5/2 की पूर्व से पश्चिम एवं इसी मु०न० 88 के किला न० 24/1 व 25/1 प्रत्ये की दक्षिण सीवें की पूर्व से पश्चिम 0.1501 हैक्ट भूमि प्रत्येक किला न० प०न० 326/436 मु०न० 74 के किला न० 21/1 जो कि किला दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम और 0.1502 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 5 ता 9 के बहिब दर्ज की जावें। इसी अनुसार वादी वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी हक हिस्सा एवं मुताबिक कब्जा काशत के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 9 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

ॐ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


उभयपक्षों को सुनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी अपना खाता तकसीम करवाना चाहता है कोई भी सह खातेदार अपने हक हिस्सा के अनुसार अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से अपना खाता व लगान अलग करवा सकता है। प्रतिवादी स0 1 ता 9 द्वारा वाद के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/436 के मु0न0 74 के किला न0 21/2 की उत्तरी हिस्सा की पूर्व से पश्चिम की ओर 0.1028 हैक्ट भूमि में प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 24/2 व 25/2 प्रत्येक की 0.1029 हैक्ट भूमि जो की इस किला का उत्तरी हिस्सा से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला यानि 24/2 व 25/2 में 0.1029 हैक्ट भूमि व प0न0 326/436 मु0न0 74 के किला न0 20/1 की 0.2252 हैक्ट भूमि किला का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प0न0 325/436 के मु0न0 75 के किला न0 16/1 व 17/1 इन दोनों किलो 16 व 17 का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 0.2252 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 325/437 मु0न0 88 के किला न0 1 ता 3 व 8 ता 14 की 2.5300 हैक्ट भूमि व प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 8/1 की 0.1140 हैक्ट भूमि जो की इसी किला न0 8 का पश्चिम हिस्सा की उत्तरी दक्षिणी 0.1140 हैक्ट भूमि व किला न0 11 ता 13 व 18 ता 23 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि दोनों मुरब्बों की कुल 4.921 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/437 मु0न0 89 के किला न0 10 की 0.2530 हैक्ट भूमि किला न0 1/1 की दक्षिण सीव पर पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी स0 2 की 0.0734 हैक्ट भूमि इसी प्रकार से मु0न0 88 के किला न0 6 व 7 की 0.506 हैक्ट भूमि व इसी मुरब्बा के किला न0 4/1 व 5/1 के बिल्कुल

अपण्ड अधिकारी
नोहर

दक्षिण सीवंग पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 0.0759 हैक्ट भूमि पूर्व से पश्चिम तक प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/436 मु०न० 74 के किला न० 11 की सम्पूर्ण 0.2530 हैक्ट व किला न० 20/2 जो की इस किला न० 20 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.0278 हैक्ट एवं मु०न० 75 के किला न० 14, 15 की सम्पूर्ण 0.506 हैक्ट भूमि किला न० 16/2 व 17/2 की जो कि किला न० 16, 17 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम का है प्रत्येक किला में 0.0278 हैक्ट भूमि व मु०न० 74 के किला न० 10/1 जो कि किला न० 10 का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है कि 0.04728 हैक्ट, प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 6/1 व 7/1 जो कि किला न० 6, 7 का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर कुल तादादी 0.04726 हैक्ट प्रत्येक किला में है उक्त भूमि का प्रतिवादी स० 3 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/436 मु०न० 74 के किला न० 1 की सम्पूर्ण 0.228 हैक्ट भूमि किला न० 10/2 जो कि किला न० 10 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.20572 हैक्ट भूमि इस प्रकार प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 6/2 व 7/2 प्रत्येक किला स० 6 व 7 का बंटा न० बनाया गया है प्रत्येक किला का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर से 0.20574 हैक्ट प्रत्येक किला में व इसी मु०न० 75 के किला न० 8 के पूर्वी हिस्सा की उत्तर दक्षिण की ओर 0.139 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स० 4 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है इसी प्रकार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प०न० 326/437 मु०न० 89 के किला न० 1/2 की 0.1796 हैक्ट उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर व प०न० 326/436 मु०न० 74 के किला न० 21/1 का दक्षिणी हिस्सा 0.1502 हैक्ट किला के पूर्व से पश्चिम की ओर इसी प्रकार प०न० 325/437 मु०न० 88 के किला न० 4/2 व 5/2 जो इन किलों का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है प्रत्येक किला की 0.1771 हैक्ट भूमि व इसी प्रकार प०न० 325/436 मु०न० 75 के किला न० 24/1 व 25/1 जो की इन किलों का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है प्रत्येक किला की 0.1501 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 523/2022

अनवान : -

1. लालचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 14 बारानी हाल वार्ड न0 01
ढाणी सिखान तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. लिछमण पुत्र स्व0 चुन्नीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेहरूनगर नोहर तहसील
नोहर।
2. मोतीलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 14 बारानी तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड स0 1 ढाणी सिखान
तहसील नोहर।
4. किशन पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड स0 1 ढाणी सिखान
तहसील नोहर।
5. इन्दिरा देवी पत्नी स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
6. सुनील पुत्र स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
7. राहुल पुत्र स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा कॉलोनी
नोहर तहसील नोहर।
8. कंचन पुत्री स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
9. नीलम पुत्री स्व0 भवंरलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नन्दा
कॉलोनी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 523 सन 2023 निर्णय दिनांक 14/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष
वकील वादी श्री संजय जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने
के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है किरोही
मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से
प0न0 326/436 के मु0न0 74 के किला न0 21/2 की उत्तरी हिस्सा की पूर्व से पश्चिम की
ओर 0.1028 हैक्ट भूमि में प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 24/2 व 25/2 प्रत्येक की
0.1029 हैक्ट भूमि जो की इस किला का उत्तरी हिस्सा से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला यानि
24/2 व 25/2 में 0.1029 हैक्ट भूमि व प0न0 326/436 मु0न0 74 के किला न0 20/1 की


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.2252 हैक्ट भूमि किला का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प0न0 325/436 के मु0न0 75 के किला न0 16/1 व 17/1 इन दोनों किलो 16 व 17 का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 0.2252 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 325/437 मु0न0 88 के किला न0 1 ता 3 व 8 ता 14 की 2.5300 हैक्ट भूमि व प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 8/1 की 0.1140 हैक्ट भूमि जो की इसी किला न0 8 का पश्चिम हिस्सा की उत्तरी दक्षिणी 0.1140 हैक्ट भूमि व किला न0 11 ता 13 व 18 ता 23 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि दोनों मुर्बों की कुल 4.921 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/437 मु0न0 89 के किला न0 10 की 0.2530 हैक्ट भूमि किला न0 1/1 की दक्षिण सीव पर पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी स0 2 की 0.0734 हैक्ट भूमि इसी प्रकार से मु0न0 88 के किला न0 6 व 7 की 0.506 हैक्ट भूमि व इसी मुर्बा के किला न0 4/1 व 5/1 के बिल्कुल दक्षिण सीव पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक किला में 0.0759 हैक्ट भूमि पूर्व से पश्चिम तक प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/436 मु0न0 74 के किला न0 11 की सम्पूर्ण 0.2530 हैक्ट व किला न0 20/2 जो की इस किला न0 20 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.0278 हैक्ट एवं मु0न0 75 के किला न0 14, 15 की सम्पूर्ण 0.506 हैक्ट भूमि किला न0 16/2 व 17/2 की जो कि किला न0 16, 17 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम का है प्रत्येक किला में 0.0278 हैक्ट भूमि व मु0न0 74 के किला न0 10/1 जो कि किला न0 10 का दक्षिण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है कि 0.04728 हैक्ट, प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 6/1 व 7/1 जो कि किला न0 6, 7 का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर कुल तादादी 0.04726 हैक्ट प्रत्येक किला में है उक्त भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/436 मु0न0 74 के किला न0 1 की सम्पूर्ण 0.228 हैक्ट भूमि किला न0 10/2 जो कि किला न0 10 का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर 0.20572 हैक्ट भूमि इस प्रकार प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 6/2 व 7/2 प्रत्येक किला स0 6 व 7 का बंटा न0 बनाया गया है प्रत्येक किला का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर से 0.20574 हैक्ट प्रत्येक किला में व इसी मु0न0 75 के किला न0 8 के पूर्वी हिस्सा की उत्तर दक्षिण की ओर 0.139 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी प्रकार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 123/117 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से प0न0 326/437 मु0न0 89 के किला न0 1/2 की 0.1796 हैक्ट उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर व प0न0 326/436 मु0न0 74 के किला न0 21/1 का दक्षिणी हिस्सा 0.1502 हैक्ट किला के पूर्व से पश्चिम की ओर इसी प्रकार प0न0 325/437 मु0न0 88 के किला न0 4/2 व 5/2 जो इन किलो का उत्तरी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है प्रत्येक किला की 0.1771 हैक्ट भूमि व इसी प्रकार प0न0 325/436 मु0न0 75 के किला न0 24/1 व 25/1 जो की इन किलों का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर है प्रत्येक किला की 0.1501 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर